

प्रधान कार्यालय लखनऊ के कार्यालय/ आवासीय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था

लखनऊ में बैंक के कार्यालय, आवासीय परिसरों तथा अन्य संपत्तियों के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा-व्यवस्था प्रदान करने के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित सुरक्षा एजेंसियों से सीलबंद कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं। एजेंसियों ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष 05 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक विक्रय-पण्यावर्त प्राप्त किया हो। पूर्व-अर्हता मापदंड तथा निबंधन व शर्तें क्रमशः **अनुबंध I व अनुबंध I के परिशिष्ट** में दी गई हैं। ये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भी उपलब्ध हैं, और 05 अगस्त, 2016 से 02 सितम्बर, 2016 के मध्य सभी कार्य-दिवसों (शनिवार-रविवार को छोड़कर) पर 0945 बजे से 1730 बजे के बीच देखे जा सकते हैं।

कोटेशन दो भागों में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनका विवरण निम्नवत है:

भाग I (तकनीकी बोली) सीलबंद लिफाफे में, जिसमें एजेंसी के संघटन, सुरक्षा व्यवस्था संभालने का अनुभव, वार्षिक विक्रय पण्यावर्त, आयकर निर्धारिती आदि उल्लिखित हो और दस्तावेजी प्रमाण संलग्न हों। इसका प्रारूप **अनुबंध II** में दिया गया है।

भाग II (वित्तीय बोली) सीलबंद लिफाफे में, जिसमें सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली (निर्धारित प्ररूप में) हो। इसका प्रारूप अनुबंध III में दिया गया है।

भाग I (तकनीकी बोली) के साथ रुपये 1,43,000/- (रुपये एक लाख तेतालीस हजार मात्र) की बयाना जमानत राशि (प्रतिदेय) जमा की जाए, जो “भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक” के पक्ष में आहरित और लखनऊ पर देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के रूप में होगी।

प्रस्तुत की जानेवाली बोलियाँ “महाप्रबन्धक, प्रशासन वर्टिकल, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी टावर, 15 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001” को संबोधित होनी चाहिए और उनके लिफाफे पर “सिडबी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था” अंकित होना चाहिए। बोलियाँ 02 सितम्बर, 2016 को अधिकतम 1500 बजे तक उनके पास पहुँच जानी चाहिए। जो बोलियाँ विनिर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत नहीं की जाएँगी वे स्वीकार नहीं होंगी। तकनीकी बोली (भाग I) 05 सितम्बर, 2016 को 1630 बजे खोला जाएगा, और इच्छुक पार्टियाँ बोली खोलते समय उपस्थित रहने का कष्ट करें। **बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी बोलियों को अस्वीकार कर दे।**

महाप्रबन्धक

प्रशासन वर्टिकल

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

सिडबी टावर

15 अशोक मार्ग

लखनऊ- 226001

पूर्व-अर्हता मापदंड

1. सुरक्षा एजेंसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई कॉर्पोरेट निकाय हो सकती है अथवा वह राज्य भूतपूर्व सैनिक निगम होनी चाहिए (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)।
2. एजेंसी को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को सुरक्षा सेवा प्रदान करने का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (कार्य-आदेशों अथवा सूचीबद्धता पत्र की प्रति संलग्न करें)।
3. कंपनी ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2013-2014/2014-2015/2015-2016 में कम से कम एक वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक विक्रय पण्यवर्त प्राप्त किया हो (संगत वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलिपि संलग्न करें)।
4. एजेंसी, यथास्थिति राज्य/ केन्द्र सरकार के श्रम एवं केन्द्रीय एवं उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए (पंजीकरण की प्रति संलग्न करें)।
5. एजेंसी को आयकर निर्धारिती होना चाहिए, जिसने मूल्यांकन वर्ष 2013-2014, 2014-2015 तथा 2015-2016 के लिए आय-कर विवरणियाँ जमा कराई हों (पैन की प्रति तथा मूल्यांकन वर्ष 2013-2014, 2014-2015 तथा 2015-2016 के लिए प्रस्तुत आय-कर विवरणी की प्रति संलग्न करें)। यदि एजेंसी आयकर विभाग से छूट प्राप्त हो तो छूट-प्रदायगी प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।
6. एजेंसी के पास पिछले 5 वर्षों के दौरान लगातार 1000 से अधिक संख्या में सुरक्षा-कर्मों जिनमें २५० भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा-कर्मों के रूप में नियोजित होने चाहिए।
7. एजेंसी द्वारा नियोजित सुरक्षा-कर्मियों के पास मिलिट्री सेवा से विमुक्ति के समय का उल्लेखनीय चरित्र प्रमाणपत्र होने चाहिए।
8. मिलिट्री सेवाओं से मुक्त किए जाने के समय सुरक्षा-कर्मियों को शेष-1 में होना चाहिए।
9. सुरक्षा एजेंसी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होना चाहिए।
10. एजेंसी का कार्यालय लखनऊ में होना चाहिए।
11. सुरक्षा करार के निबंधन व शर्तें संलग्नक में दी गई हैं।
12. सरकारी एजेंसी से इतर एजेंसी को “निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियामक) अधिनियम, 2005” में निर्दिष्ट प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

उपर्युक्त पूर्व-अर्हता मापदंडों के अनुसार अर्ह तथा परिशिष्ट में विहित निबंधनों व शर्तों का अनुपालन करने के लिए सहमत एजेंसियाँ ‘तकनीकी बोली’ अलग सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें, जिसपर “‘लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था’ हेतु तकनीकी बोली’ –संदर्भ- समाचार पत्र विज्ञापन दिनांक 05 अगस्त, 2016 ” अंकित होना चाहिए।

सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए निबंधन व शर्तें

1. संविदा प्रदान करने की तारीख से दो वर्ष, जो बैंक के पूर्ण विवेकानुसार प्रदर्शन की संतोषजनक समीक्षा एवं मौजूदा निबंधनों व शर्तों पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. एजेंसी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम आदि सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए सहमत है।
3. एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक सुरक्षा गार्ड एक बार में आठ घंटे से अधिक की ड्यूटी न करे।
4. नियुक्त किए जानेवाले गार्डों की संख्या का निर्णय बैंक करेगा, ताकि प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। आराम और छुट्टी की व्यवस्थाएं कंपनी के विवेकानुसार होंगी, जिसके लिए किसी मजदूरी-भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति की अदायगी का दायित्व बैंक पर नहीं होगा।
5. एजेंसी बैंक के अनुसूची में दिए गए परिसर की सुरक्षा के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी। साथ ही, वह सभी पालियों में आवश्यकतानुसार गार्ड प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
6. बैंक की सहमति के बिना एजेंसी गार्डों को एक स्थान/संस्था से हटाकर दूसरे स्थान/संस्था में नहीं लगाएगी।
7. जिन गार्डों को सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया गया है, वे ड्यूटी के समय एजेंसी द्वारा प्रदान की गई उपयुक्त वर्दी पहनेंगे तथा पहचान पत्र धारण करेंगे। वर्दी तथा किसी भी संबंधित वस्तु को कंपनी वहन करेगी।
8. एजेंसी तथा सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए एजेंसी द्वारा नियुक्त गार्डों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होने पर बैंक उत्तरदायी अथवा जिम्मेदार नहीं होगा, और बैंक तथा एजेंसी अथवा गार्डों के मध्य नियोजक व नियोक्ता का कोई संबंध अस्तित्व में नहीं आएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी केवल एजेंसी की होगी।
9. सुरक्षा व्यवस्थाओं के निष्पादन के लिए ड्यूटी हेतु एजेंसी केवल भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएँ लेगी। मिलिट्री सेवा से मुक्ति के समय उन्हें 'शेष वन' की चिकित्सा-श्रेणी में होना चाहिए और उनका चरित्र 'अनुकरणीय' होना चाहिए। एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए गार्डों को तगड़े होने चाहिए और उनकी उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
10. एजेंसी वचन देती है कि उसके द्वारा सहमत हुए कार्यों के निष्पादन में कोई कमी, गलती या त्रुटि के फलस्वरूप होने वाली किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि, क्षति, चोरी, दावों, नुकसान, लापरवाही आदि के लिए वह बैंक को क्षति-पूर्ति करेगी।
11. एजेंसी अपने सौंपे गए कार्य को संपन्न करने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगी, और एजेंसी द्वारा उक्त कार्य करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति की किसी दुर्घटना के कारण होनेवाली मृत्यु अथवा चोट लगने अथवा अन्य किसी जोखिम के लिए यथास्थिति किसी क्षतिपूर्ति, हर्जाने, हानि की भरपाई आदि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। सुरक्षा का कार्य करने के लिए लगाए गए व्यक्ति/गार्ड अपने कार्यों तथा एजेंसी की चूक के लिए खुद उत्तरदायी होंगे।
12. बैंक के साथ काम करनेवाले अपने कर्मचारियों/ प्रतिनिधियों के कार्यों व चूक के लिए एजेंसी पूरी तरह जिम्मेदार होगी और वह अपने कर्मचारियों के कार्यों के गैर-निष्पादन अथवा दोषपूर्ण

- निष्पादन अथवा निष्पादन-हीन, चोरी आदि के फलस्वरूप होने वाली किसी भी हानि, क्षति, चोरी, लापरवाही आदि के लिए वह बैंक को क्षति-पूर्ति करने का वचन देती है।
13. निबंधनों व शर्तों के अनुपालन में एजेंसी/उसके गार्डों द्वारा गैर-निष्पादन अथवा त्रुटिपूर्ण निष्पादन अथवा निष्पादनहीनता, चोरी आदि के फलस्वरूप यदि बैंक को कोई हानि होती है तो बैंक लिखित में एजेंसी से दावा करेगा और बैंक द्वारा एजेंसी में दर्ज किए गए किसी भी दावे का निपटान एजेंसी द्वारा एक माह की अवधि में किया जाएगा। यदि एजेंसी द्वारा दावे का निपटान एक माह के भीतर नहीं किया जाता तो बैंक को हुई हानि की वसूली एजेंसी को किए जानेवाले मासिक भुगतान में से कर ली जाएगी।
 14. बैंक को अधिकार है कि एजेंसी को इस आशय का एक महीने का नोटिस देकर, वह बिना कोई कारण बताए इस व्यवस्था को समाप्त कर दे, और व्यवस्था समाप्त करने का नोटिस लेने से एजेंसी द्वारा इनकार किए जाने अथवा उसका परिहार करने पर उक्त नोटिस बैंक में दर्ज एजेंसी के पते पर पंजीकृत डाक से भेज दिया जाएगा। इसके पश्चात् यह माना जाएगा कि नोटिस एजेंसी को भेज दिया गया है। व्यवस्था के समाप्त होने के पश्चात् एजेंसी को सौंपे गए कार्य के निष्पादन के लिए अपने विवेकानुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म को नियुक्त करने का अधिकार भी बैंक को रहेगा। उपर्युक्त व्यवस्था की समाप्ति के बावजूद, बैंक के निर्देशानुसार सौंपी गई सुरक्षा-व्यवस्था के संबंध में अपने दायित्व से एजेंसी मुक्त नहीं हो पाएगी।
 15. निबंधनों व शर्तों अथवा बैंक के प्रति एजेंसी के कामकाज की व्याख्या के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवाचक का निर्णय करने का पूर्ण प्राधिकार केवल बैंक को होगा। इस संबंध में यदि कोई अन्य दस्तावेज निष्पादित करने की आवश्यकता हो तो एजेंसी उसके निष्पादन के लिए सहमत है।
 16. एजेंसी द्वारा नियुक्त गार्ड तब तक उक्त परिसर से कोई सामग्री बाहर ले जाने की अनुमति नहीं देंगे, जब तक बैंक का नामित अधिकारी अपने स्तर पर, अपने हस्ताक्षर करके इसके लिए प्राधिकृत न करे।
 17. पुनः कहा और सुस्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार प्रदान किए गए गार्डों का प्रबंधन व नियंत्रण एजेंसी के पास रहेगा और उक्त गार्ड समस्त उद्देश्यों हेतु एजेंसी के अनुशासनात्मक प्राधिकार के अधीन रहेंगे।
 18. एजेंसी (सरकारी एजेंसी से इतर) प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों से अनुबद्ध रहेगी।
 19. एजेंसी से अपेक्षित होगा कि वह मासिक बिल के साथ, अनुबंध IV में संलग्न प्रारूप के अनुसार एक वचनपत्र प्रस्तुत करे और बिल का निपटान उसके पश्चात् ही किया जाएगा।
 20. बैंक अपनी आवश्यकतानुसार गार्डों की संख्या बढ़ा अथवा घटा सकता है एवं तदनुसार उसका भुगतान करने का अधिकार रखता है।
 21. करार के दौरान, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय श्रम आयुक्त द्वारा समय समय पर संशोधित महगाई भत्ते के अनुरूप न्यूनतम वेतन में संशोधन होगा। तदनुसार इपीएफ /इएसआई का भुगतान भी संशोधित दर पर किया जायगा।

सिडबी. लखनऊ में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

कार्मिक का प्रकार	तैनाती का स्थल	सुरक्षा कर्मियों की संख्या
	कार्यालय परिसर	
(सुपरवाइजर 1+ सुरक्षा गार्ड - 2)	पहली पाली	3 (2+1)
सुरक्षा गार्ड	दूसरी पाली	3
सुरक्षा गार्ड	तीसरी पाली	3
	चित्रशिला अपार्टमेंट	
सुरक्षा गार्ड	पहली पाली	2
(सुपरवाइजर 1+ सुरक्षा गार्ड - 2)	दूसरी पाली	3(2+1)
सुरक्षा गार्ड	तीसरी पाली	2
	किंग्स अपार्टमेंट	
सुरक्षा गार्ड	पहली पाली	1
सुरक्षा गार्ड	दूसरी पाली	1
सुरक्षा गार्ड	तीसरी पाली	1
	स्टाफ क्वार्टर्स, इंदिरा नगर	
सुरक्षा गार्ड	पहली पाली	1
सुरक्षा गार्ड	दूसरी पाली	1
सुरक्षा गार्ड	तीसरी पाली	1
	आवासीय परिसर, एमएमएम मार्ग	
सुरक्षा गार्ड	पहली पाली	2
सुरक्षा गार्ड	दूसरी पाली	2
सुरक्षा गार्ड	तीसरी पाली	2
	कुल	28

तकनीकी बोली का प्ररूप
(सुरक्षा व्यवस्था)

प्रेषक

प्रति

महाप्रबन्धक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रशासन वर्टिकल
सिडबी टावर
15 अशोक मार्ग
लखनऊ- 226001

क्रमांक	मद्द	एजेंसी द्वारा भरे जानेवाले विवरण
1	एजेंसी / संपर्क हेतु उपलब्ध व्यक्ति का नाम	
2	एजेंसी के कार्यालय/व्यवसाय का पता	पंजीकृत पता - स्थानीय पता-
3	निगमन/स्थापना की तारीख	
4	एजेंसी की पैन्/टैन् सं.	
5	सेवा कर पंजीकरण सं.	
6	क्या फर्मो/ कंपनियों के पंजीयक के पास पंजीकृत है? पंजीकरण की तारीख (पंजीकरण-प्रमाणपत्र की प्रति नत्थी करें)	
7	क्या एजेंसी को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको/ उपक्रमों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का 10 वर्ष का अनुभव है? (कार्य-आदेशों की प्रतियाँ नत्थी करें)	
8	क्या एजेंसी सभी सांविधिक आवश्यकताओं जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि, कामगार मुआवजा अधिनियम, करार श्रम(विनियम व् समाप्ति)अधिनियम जैसा भी प्रयोज्य को पूरा करती है ? (पंजीकरण प्रमाणपत्र/ लाइसेंस की प्रति नत्थी करें)	
9	क्या श्रम विभाग में पंजीकृत है? पंजीकरण की तारीख	

	(पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति नत्थी करें)	
10	क्या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग में, सेवाकर के लिए पंजीकृत है? (पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति नत्थी करें)	
11	क्या एजेंसी ने पिछले तीन आकलन-वर्षों में से किसी में (विव 2014, विव 2015, विव 2016) 5 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक विक्रय पण्यावर्त प्राप्त किया है? (सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित लाभ-हानि लेखे की प्रति नत्थी करें)।	
12	क्या एजेंसी आय-कर निर्धारिती है, जिसने पिछले तीन निर्धारण वर्षों यानी 2014, 2015 तथा 2016 की आय-कर विवरणियाँ जमा की हैं (आय-कर विवरणियों की प्रति नत्थी करें)	
13	एजेंसी (सरकारी एजेंसी से इतर) प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानों से अनुबद्ध रहेगी।	

मैं/हम बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट निबंधनों व शर्तों (जो **अनुबंध I के परिशिष्ट** में उल्लिखित हैं) से अनुबद्ध होने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम ठेका श्रम अधिनियम, 1970, ईपीएफ, ईएसआई की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इस संबंध में अन्य समस्त सांविधिक अपेक्षाओं का पालन करने का भी वचन देता/देते हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि आवश्यक विनियमों/विधियों का अनुपालन न होने के कारण उत्पन्न किन्हीं कमियों के लिए किसी मामले में सिडबी न तो शामिल होगा, न ही उत्तरदायी होगा।

तारीख:

हस्ताक्षर
फर्म /कंपनी का नाम व सील

तारीख:

हस्ताक्षर

फर्म /कंपनी का नाम व सील

(यह प्ररूप अलग सीलबंद लिफाफे में भेजा जाएगा, जिसपर “‘लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था’ हेतु तकनीकी बोली’ –संदर्भ- समाचार पत्र विज्ञापन दिनांक 05 अगस्त, 2016” अंकित होगा।)

भाग- II
 वित्तीय बोली हेतु प्ररूप
 (सुरक्षा व्यवस्था)

प्रेषक

प्रति

महाप्रबन्धक

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

प्रशासन वटिकल

सिडबी टावर

15 अशोक मार्ग

लखनऊ- 226001

क्रमांक	विवरण	श्रेणी	दर, प्रति गार्ड (रु)	गार्डों की संख्या	दर (रु.) (शब्दों में भी लिखें)
1	सुरक्षा गार्ड	अर्द्ध कुशल		26	
2	बंदूक धारी	अर्द्ध कुशल			
3	सुरक्षा पर्यवेक्षक	अर्द्ध कुशल		2	
	योग			28	

टिप्पणी-

कृपया अलग-अलग दरें संलग्न प्रारूप में वित्तीय बोली के साथ एवं केन्द्रीय श्रमायुक्त, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार प्रस्तुत करें।

करार के दौरान, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय श्रम आयुक्त द्वारा समय समय पर संशोधित महगाई भत्ते के अनुरूप न्यूनतम वेतन में संशोधन होगा. तदनुसार इपीएफ /इएसआई का भुगतान भी संशोधित दर पर किया जायगा।

आवश्यकता के अनुसार भविष्य में सुरक्षा गार्डों/बंदूकधारियों/सुरक्षा पर्यवेक्षकों की संख्या घट-बढ़ सकती है और तदनुसार भुगतान किया जाएगा।

उपर्युक्त दरों में कर शामिल नहीं हैं, जो लागू दरों पर लगाए जाएँगे। हमें मालूम है कि समस्त भुगतान अदायगी के समय पर स्रोत पर कर की कटौती के अधीन होंगे।

में/हम उपर्युक्त दरों पर बैंक द्वारा अनुबंध I के परिशिष्ट में उल्लिखित निबंधनों व शर्तों के अनुपालन के लिए उपर्युक्त बोली किए गए दरों पर सहमत हूँ/हैं।

तारीख:

हस्ताक्षर

फर्म का नाम व सील

(यह प्ररूप अलग सीलबंद लिफाफे में भेजा जाएगा, जिसपर “‘लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था’ हेतु आर्थिक बोली’ -संदर्भ- समाचार पत्र विज्ञापन दिनांक 05 अगस्त, 2016” अंकित होगा।)

केन्द्रीय श्रमायुक्त, भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम
वेतन के अनुसार प्रति गार्ड - उद्धृत दरों का विवरण

क्रम	विवरण	सुरक्षा गार्ड	गनमैन	सुरक्षा पर्यवेक्षक
1	26 दिनों का वेतन			
2	पीएफ			
3	ईएसआईसी			
4	बोनस			
5	ग्रातुइटी			
6	रिलीवर			
7	उप योग (क)			
8	सेवा प्रभार			
9	उप योग (ख)			
10	सेवा कर			
11	उप योग (ग)			
12	कुल (क+ ख+ ग)			

वचनपत्र

मैं----- सुपुत्र -----
स्वत्वाधिकारी/भागीदार----- निदेशक-----
----- (फर्म) एतद्द्वारा घोषित करता हूँ और वचन देता हूँ कि-
कि मेसर्स----- के स्वतंत्र श्रम संविदाकार की हैसियत में मैंने लागू होनेवाली सभी विधियों के प्रावधानों का अनुपालन किया है। मैंने सभी कर्मचारियों को-----माह के वेतन का भुगतान किया है, जो लागू न्यूनतम दर से कम नहीं है और किसी भी अन्य देयता का भुगतान किसी भी कर्मचारी को किया जाना बाकी नहीं है।
कि मैंने सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया है तथा निम्नलिखित महीनों का अंशदान जमा करा दिया है और अंशदान के प्रति कोई भी राशि देय नहीं है।
मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरी चूक के कारण यदि मेसर्स----- द्वारा मेरे कर्मचारी के प्रति किसी दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है तो मैं उसकी प्रतिपूर्ति करने का वचन देता हूँ। मेसर्स----- को अधिकृत करता हूँ कि वह मुझे दी जानेवाली राशि में से उपर्युक्त राशि की कटौती कर लें।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA